

ई.आफिस एफ.सं.डब्ल्यू-11011/10/2015-सं.सचिव का कार्यालय (डब्ल्यूएंडए)

सं.डब्ल्यू-11014/06/2009-जल (पीएल.)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथी मंजिल, पर्यावरण भवन,

सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 24 मार्च, 2015

कार्यालय जापन

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अधिकारियों में एरिया अधिकारियों के रूप में राज्यों का आबंटन करने के संबंध में।

इस विषय से संबंधित पिछले सभी आदेशों को रद्द करते हुए निम्नलिखित आबंटन किया जाता है:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	आबंटित राज्य
1	डा. दिनेश चन्द, अतिरिक्त सलाहकार	उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा
2.	श्री राजेश कुमार, निदेशक (जल)	राजस्थान
3.	श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, निदेशक	मध्य प्रदेश
4.	श्री एम.एम सिंह, निदेशक	छत्तीसगढ़
5.	श्री निपुण विनायक, उप सचिव	कर्नाटक
6.	श्रीमती शिवानी दत्त, उप सचिव	उत्तराखंड
7	श्री डी.राज शेखर, उप सलाहकार	आंध्र प्रदेश, सभी संघ क्षेत्र
8.	डॉ.जी. बालासुब्रामण्यन, उप सलाहकार	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय
9.	सुश्री संध्या सिंह, संयुक्त निदेशक (स्टैट/आईईसी)	पंजाब
10.	श्री ए.के श्रीवास्तव, अवर सचिव	महाराष्ट्र
11.	श्री एस. सान्याल, अवर सचिव	जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
12.	श्रीमती क्रिस्टिना कुजुर, अवर सचिव	हरियाणा
13.	श्री नरेश कुमार, अवर सचिव	गोवा
14.	श्री के.एन.रेड्डी, अवर सचिव	सिक्किम
15.	श्री सलीम हैदर जैदी, सहायक सलाहकार (ग्रा.)	तमिल नाडु
16.	श्री जी.आर जरगर, वरि. परामर्शदाता, एनआरसी	ओडिशा
17.	श्री शनमुगम सुंदरम, परामर्शदाता, एनआरसी	केरल
18.	श्री अनिसुर रहमान, परामर्शदाता, एनआरसी	गुजरात
19.	श्री जुनैद अहमद, परामर्शदाता, एनआरसी	पश्चिमी बंगाल
20.	डॉ. गंगाधर मुरुगन, परामर्शदाता, एनआरसी	मणिपुर
21.	डॉ. शाइनी डी.एस, परामर्शदाता, एनआरसी	मिजोरम
22.	डॉ. नीरज तिवारी, परामर्शदाता, एनआरसी	नागालैंड
23.	डॉ. ब्रिजेश श्रीवास्तव, परामर्शदाता,	तेलंगाना
24.	श्री जे.सी सिंघल, वरि. परामर्शदाता, एनपीएमयू	बिहार
25.	श्री अरुण रस्तोगी, वरि. परामर्शदाता, एनपीएमयू	असम
26.	श्रीमती उर्वशी प्रसाद अस्थाना, वरिष्ठ परामर्शदाता, एनपीएमयू	झारखंड

राज्य की एसएलएसएससी बैठक में भाग लेने वाले एरिया अधिकारियों के लिए अनुदेश:

*एरिया अधिकारी जब भी राज्यों में एसएलएसएससी की बैठकों में जाएं, उन्हें देखना चाहिए कि सभी योजनाएँ एनआरडीडब्ल्यूपी की गाइडलाइनों के अनुसार सख्ती से स्वीकृत की जाती हैं।

*एसएलएसएससी में स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के माध्यम से योजना आयोग एवं मंत्रालय के लक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर लागू होने चाहिए। उदाहरण के लिए बिहार, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्य बहुत अधिक संख्या में हैंडपंपों की तो स्वीकृति दे रहे हैं लेकिन पाइप से जल की आपूर्ति करने वाली योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं परिणाम स्वरूप एनआरडीडब्ल्यूपी का उद्देश्य असफल हो जाता है। इस पर राज्यों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्यों को चाहिए कि वह बताएं कि 10, 5 और 3 वर्षों से अधिक की अवधि से कितने डब्ल्यूएसएस लम्बित हैं जिन्हें पिछले एसएलएसएससी से पूरा किया गया है और बची हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भविष्य में निर्धारित अवधि के बारे में भी बताया जाना चाहिए।

*एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार 0-25% और 25-50% की कवरेज को तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावट को वरीयता दी जानी चाहिए।

*यह देखा गया है कि राज्य 5% डब्ल्यूक्यू चिन्हित सपोर्ट निधि तथा डब्ल्यूक्यूएमएंडएस (3%) कम्पोनेंट के लिए धनराशि नहीं लेते हैं। इस पर एसएलएसएससी बैठकों में राज्य के दौरे के दौरान विचार विमर्श किया जाना चाहिए। राज्य यह भी बताएं कि पिछले एसएलएसएससी से तैयार की गई जिला स्तर और उपजिला स्तर पर कितनी प्रयोगशालाएँ हैं और यह भी बताएँ कि इनमें कितने जल गुणवत्ता परीक्षण किये जा रहे हैं।

*अनुमोदित डीपीआर के लिए एसएलएसएससी के बाद प्रशासनिक स्वीकृति तत्काल प्राप्त की जाए और कवरेज कायम रह सकने योग्य, जल गुणवत्ता और सपोर्ट फंड के बारे में बताते हुए अलग से इस मंत्रालय को सूचित करें ताकि आगे चल कर भविष्य में परियोजना लागत न बढ़े।

*राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत के बारे में बताएं और मंत्रालय/राज्य से जारी फंड के आधार पर प्रस्ताव और इन जल आपूर्ति योजनाओं के पूरा होने के कार्यक्रम के बारे में भी बताएं।

*पिछले एसएलएसएससी से पूरे किए गए सभी/डब्ल्यूएसएस और कवर की गई बसावटों की एरिया अधिकारी द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और संयुक्त सचिव (जल) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

*राज्य एसएलएसएससी की बैठक के लिए इस मंत्रालय को उसकी कार्य सूची सहित कम से कम 15 दिन पहले सूचित करेंगे।

*सभी एरिया अधिकारी जब भी एसएलएसएससी में भाग लेने जाएं तो गाँवों में पेयजल एवं स्वच्छता के बारे में जाँच करने के लिए अपनी पंसद के कम से कम दो रिमोट गाँवों का बिना किसी को सूचित किए अचानक दौरा करेंगे।

*एरिया अधिकारी दौरा पूरा करने के बाद एक सप्ताह में एसएलएसएससी के निर्णय और उन दो गाँवों की स्थिति के बारे में एक नोट प्रस्तुत करेंगे।

एरिया अधिकारी जल और स्वच्छता दोनों का ध्यान रखेंगे। दौरे के बाद एरिया अधिकारी संबंधित संयुक्त सचिव को लिए गए निर्णय के बारे में और कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में जानकारी देंगे।

इसे सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

यह दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी होगा।

(राजेश कुमार)

निदेशक (जल)

सेवा में,

1. सभी एरिया अधिकारी
2. सभी राज्य/संघ क्षेत्र (प्रधान सचिव/सचिव)
(वेबसाइट पर अपलोडिंग के द्वारा)

प्रतिलिपि: सचिव/(डीडब्ल्यूएस) के पीपीएस/संयुक्त सचिव (जल) के पीएस/संयुक्त सचिव (स्वच्छता) के पीपीएस वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) (वेबसाइट पर डालने एवं ई-मेल करने के लिए।

तकनीकी निदेशक, एनआईसी को वेबसाइट पर डालने के लिए

(राजेश कुमार)

निदेशक (जल)